

[2024] 10 एस. सी. आर 108: 2024 आई. एन. एस. सी. 735

विजय सिंह @ विजय कु. शर्मा

बनाम

बिहार राज्य

(2015 की आपराधिक अपील संख्या- 1031)

25 सितंबर 2024

[बेला एम. त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्तिगण]

विचारण के लिए मुद्दा

उच्च न्यायालय द्वारा निष्कर्षों की स्थिरता के संबंध में मुद्दा उठा जिसमें भा.द.सं. की धाराएँ 302/34 एवं 364/34 के तहत अपराध करने के कारण अपीलार्थियों को दोषी पाया गया, साथ ही उच्च न्यायालय का रुख यदि स्थित कानून के पंक्ति में स्थिर कानून द्वारा एक मुक्ति को दोषसिद्धि में पलटना।

हेड नोट्स

1860 की दंड संहिता-धाराएँ 302/34 एवं 364/34-अपहरण या भगा कर ले जाना एक संपत्ति के झगड़ा पर एक महिला का अपहरण एवं हत्या-मृत्यु के तथ्य की खोज मुखबिर एवं पीड़ित के बहनोई द्वारा दर्ज किया गया आगे के लिखित प्रतिवेदन- दोषसिद्धि एवं सजा जो अभियुक्त सं.1-5 का अपराध का कार्यान्वयन अभियुक्त सं. 6 एवं 7 को सभी आरोपो से धाराएँ 302/34 और 364/34 के तहत नियुक्ति-उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 1-5 के दोषसिद्धि को रोकना-साथ ही अभियुक्त सं. 6 एवं 7 को धाराएँ 364/34 एवं 302/34 के तहत अपराधों का क्रियान्वयन स्थिरता।

अभिनिर्धारित: हत्या का अपराध पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्भर है एवं एक वाद जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, साक्ष्यों की कड़ी पूरी होनी चाहिए एवं बगैर दोष के निष्कर्ष जो छोड़ा न जा सके अवश्य देगा-अभियोजन वाद उस मानक को पाने से दूर है-मात्र कुछ मेकअप सामग्री के पाये जाने के कारण निष्कर्ष, सबूत का तथ्य नहीं हो सकता है कि पीडित उस घर में रह रही थी, विशेषतः जब एक अन्य महिला वहाँ रह रही थी-कोई सामग्री जो प्रत्यक्षतः इंगित करे कि मृतक के साथ मुखबिर भी वहाँ रहता है, पाया गया-अभियोजन उक्त तथ्य को प्रमाणित करने के लिए एक भी सहवासी वहाँ था परीक्षण में विफल रहा-चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य मृत्यु के समय के पहलू की घोषणा करने में बिल्कुल अभरोसेमंद था-पोस्ट मॉर्टम प्रतिवेदन एवं पाये गए निष्कर्ष पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था-अपहरण के संबंध में अभियोजन सुस्पष्ट संदेहों से भरा था-यद्यपि, पोस्ट मॉर्टम प्रतिवेदन इंगित करता है कि पीडित की मृत्यु अप्राकृतिक था एवं हत्या करने को हटाया नहीं जा सकता है, हालांकि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा हत्या करना को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करना-अभियुक्त व्यक्तियों एवं सुस्पष्ट आरोपित दोषी का कारण का जुड़ाव में अविद्यमान था। तथ्यों से निकलते हुए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, अपहरण के अपराध को घेरते हुए, जैसे चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य, सबूत के परीक्षण को पाने में विफल रहे एवं इसे कानून के चक्षु में प्रमाण नहीं माना जा सकता है-उद्देश्य का भी एक अभिप्राय, केवल जब अभिलेख पर साक्ष्य अपराध के तत्वों को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं उसके तहत विचारण-संस्थापित तथ्यों के सबूत के बिना, अभियोजन का वाद केवल उद्देश्य के मौजूदगी में सफल नहीं हो सकते हैं- इस प्रकार अभियोजन अपने भार से विमुक्त होने में उचित संदेह से परे-कारण वाले संदेह असुलहनीय है एवं अभियोजन वाद के स्थापना पर जोर देते हैं-इसके अलावा, ए-6 एवं ए-7 के विमुक्ति को उलटने हेतु जो स्थायी कानून की पंक्ति में नहीं थे एवं मुक्तियों के उलटने के पंक्ति में नहीं थे-उच्च न्यायालय ने विषय का एक सरसरी दृष्टि डाली एवं विमुक्ति था विचारण न्यायालय की असंभव्यता को ध्यान में रखते हुए या

विचारण हेतु न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अप्रशंसा-अतः अपीलार्थी को सभी आरोपों से विमुक्त किया गया, निचली अदालत द्वारा दोष के निष्कर्ष पर पहुँचने को जारी नहीं रखा जा सकता है एवं दरकिनार किया गया-इससे कुछ भी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा धारा 302 के तहत अपराध किए जाने का अनुमान इससे नहीं लगाया जा सकता है। [कंडिकाएँ 28-32, 34-37]

न्यायिक अर्थ-उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि घर में पाया गया मेकअप की सामग्री विधवा महिला की नहीं हो सकती है, क्योंकि एक विधवा द्वारा मेकअप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी:

अभिनिर्धारित किया: उक्त अवलोकन न केवल कानूनी तौर पर अतर्क संगत था, बल्कि काफी आपत्तिजनक था-इस प्रकृति के समेट लेने वाला अवलोकन एक कानूनी न्यायालय द्वारा अपेक्षित समपरिमाण के साथ था, विशेषतः जब यह अभिलेख पर किसी साक्ष्य द्वारा नहीं बनाया जाता था। [कंडिका 27]

कानून वाद उद्धृत

गोवा राज्य बनाम ठाकरन [2007] 3 एस. सी. आर. 507: [2007] 3 एस. सी. सी. 755: चन्दप्पा बनाम कर्नाटक राज्य [2007] 2 एस. सी. आर. 630: [2007] 4 एस. सी. सी. 415: नेपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य [2009] 6 एस. सी. आर. 982: [2009] 12 एस. सी. सी. 351: काशीराम बनाम एम. पी. राज्य [2001] 4 पूरक एस. सी. आर. 263: [2002] 1 एस. सी. सी. 71: लाभ सिंह बनाम पंजाब राज्य [1976] 1 एस. सी. सी. 181: सुरतलाल बनाम एम.पी. राज्य (1982) 1 एस.सी.सी. 488; राय साहेब एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1994) पूरक 1 एस.सी.सी. 74; संजीव बनाम एच. पी. राज्य (2022) 6 एस.सी.सी. 294- संदर्भित किया-

अधिनियम की सूची

दंड संहिता, 1860

मुख्य शब्दों की सूची

अपहरण; हत्या; महिला का अपहरण एवं हत्या; पारिस्थितिक साक्ष्य; साक्ष्य की कड़ी; विमुक्ति का पलटना; उद्देश्य; प्रयोजन; वाद का विवेकी संदेह से परे साबित करने का भार; न्यायिक विरोध; उच्च न्यायालय का अवलोकन काफी आपत्तिजनक; उच्च न्यायालय का अवलोकन जो कानून के न्यायालय से अपेक्षित संवेदनशीलता एवं निष्पक्षता आनुपातिक नहीं।

वाद का उद्भूत होना

अपराधिक अपीलीय न्यायाधिकार: 2015 का अपराधिक अपील सं.- 1031

पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधिकार दिनांकित 26.03.2015 के निर्णय एवं आदेश में सरकारी अपील (खंड पीठ) संख्या- 16,1992 का।

साथ

2017 का आपराधिक अपील सं. 1578, 765, 1579

पक्षों की उपस्थिति

आर. के. दास, वरीय अधिवक्ता, सुश्री फौजिया शकील, अमित शर्मा, दिपेश सिन्हा, सुश्री पल्लवी बरुआ, सुश्री अपर्णा सिंह, अजय कुमार सिंह, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

शिवम सिंह, कार्तिकेय अग्रवाल, मनीष कुमार, शंतानु सागर, अमित कुमार, प्रभात रंजन राज, गुंजेश रंजन, शशांक कुमार सौरभ, वैभव जैन, मनोनीत द्विवेदी, प्रतिवादी के अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

सतीश चन्द्र शर्मा, माननीय न्यायाधीश

1. 30.08.1985 को नीलम ने सिमलतला, थाना- सिकंदरा, जिला- मुंगेर, बिहार में अपनी अंतिम साँस ली। उसके मृत्यु का तथ्य मुखबीर एवं मृतक के बहनोई, यानि रामानंद सिंह राज्य (विचारण न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू. 18 के रूप में परीक्षित) जहाँ उन्होंने यह आरोप लगाया कि नीलम को सात व्यक्तियों द्वारा उनके घर से अपहरण किया गया जो उसी दिन 10.00 रात्रि के लगभग घटी। सूचना के अनुसार, 1985 की प्राथमिकी सं.- 127 थाना- सिकंदरा में दर्ज किया गया एवं अन्वेषण की कार्रवाई शुरू की गई, जो सात अभियुक्त व्यक्तियों अर्थात् कृष्ण नंदन सिंह (अभियुक्त सं. 1), राम नन्दन सिंह (अभियुक्त सं. 2), राज नंदन सिंह (अभियुक्त सं. 3), श्याम नंदन सिंह (अभियुक्त सं. 6) एवं तनिक सिंह (अभियुक्त सं. 7) के खिलाफ एक आरोप-पत्र दायर करने को लेकर हुई।
2. विचारण न्यायालय ने 1860 की भा.दं.सं. की धाराएँ 323, 302, 364, 449, 450, 380/34 एवं 120बी के तहत दंडनीय अपराध करने के कारण हुई। बाद में अभियुक्त सं. 6 एवं 7 को भा.दं.सं. की धाराएँ 342, 506 के साथ पठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए भिन्न रूप से आरोपित थे। विचारण के पश्चात, विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांकित 05.06.1992 के माध्यम से अभियुक्त सं.- 1, 2, 3, 4 एवं 5 के लिए सूचीबद्ध अभियुक्त व्यक्तियों को दोषसिद्धि हेतु भा.दं.सं की धारा 302/34 एवं 364/34 के तहत अपराध करने के लिए की गई। उन्हें दूसरे आरोपों से बरी कर दिया गया एवं अभियुक्त सं. 6 एवं 7 सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

3. दोषसिद्धि व्यक्तियों ने पटना उच्च अदालत को दोषसिद्धि आदेश के खिलाफ दोषसिद्धि के अपील को प्राथमिकता दी एवं राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष दोनों आरोपित व्यक्तियों को भी रिहा करने के आदेश के खिलाफ आरोप को प्राथमिकता दी।

संक्षिप्त तथ्य

4. अनावश्यक विवरणों को छीनते हुए, तथ्य यह बताते हैं कि मृतक नीलम अशोक कुमार की पत्नी हैं जो पी.डब्ल्यू.3/ गणेश प्रसाद सिंह, एवं सूचनादाता पी.डब्ल्यू.18/ रामानंद सिंह अशोक कुमार के भाई थे। सूचनादाता का वाद समय के संदर्भित बिंदु पर यह था कि मृतक अपने पति के साथ अपने दिवंगत पिता जंग बहादुर के साथ अपने पिता के घर में रह रही थी, जो सिमलतला में आंशिक रूप से मृतक, उसके पति एवं उसके बहनोई द्वारा दखल किया गया था एवं शेष भाग पर किराएदारों द्वारा किराए पर था, जो उस भाग में रह रहे थे।
5. अभियोजन वाद के अनुसार 30.08.1985 को करीब 10.00 रात्रि में पी.डब्ल्यू. 18 घर के बाहर एक रिक्शा में दोमन तांती, दासो मिस्त्री एवं सूरदास एवं नीलम घर के अंदर रह रही थी। उसके पति, अशोक कुमार, अपने निवास स्थान घोगशा गए थे। अचानक, सात अभियुक्त व्यक्तियों जिसमें अपीलार्थी हमारे समक्ष थे, उत्तर दिशा से 15 अन्य अज्ञात हमलावर सामने आए थे। अभियुक्त विजय सिंह/ए-6 सूचनादाता/पी.डब्ल्यू.18 को पकड़ लिया एवं जैसे ही उसने अलार्म उठाया एवं चिल्लाना शुरू किए, दो अज्ञात व्यक्तियों ने उनके सामने पिस्तौल तान दिया एवं उन्हें खामोश रहने का निर्देश दिया। इसके पश्चात, अभियुक्त व्यक्तियों, जिन्होंने सूचनादाता को पकड़ा उस पर मुक्का एवं थप्पड़ द्वारा हमला किया एवं उन्हें एक कुआँ के निकट जो घर के उत्तर की ओर था, सीमित कर दिया। इस बीच ए-1 घर में 5-7 अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ, एक निवासी यानि कुमुद रंजन सिंह द्वारा घर की छिटकिनी खोलकर नीलम को घर के

बाहर खींच लिया। जैसे ही उन्हें घर के बाहर खींचा, चार व्यक्तियों ने नीलम को उठाकर लोहड़ा की ओर चलने लगे। सूचनादाता के अनुसार, अभियुक्त व्यक्तिगण ने दो साड़ी, दो ब्लाउज, दो साया एवं चप्पल का एक जोड़ा, नीलम का बाहर ले जाने उठाया।

6. जैसे ही सूचनादाता ने शोर किया, मोहल्ला के अन्य व्यक्ति भी वहां एकत्रित हुए जिसमें पी.डब्ल्यू. 2, विनय कुमार सिंह, पी.डब्ल्यू. 4 चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह एवं पी.डब्ल्यू. 5 राम नरेश सिंह भी शामिल थे। उक्त तीन साक्षियों ने अभियुक्त व्यक्तियों को नीलम को ले जाते हुए देखा, लेकिन उन्हें रोक नहीं सके। सूचनादाता ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अभियुक्त व्यक्तियों का पीछा करने का साहस नहीं किया, क्योंकि उनलोगो ने उनकी ओर पिस्तौल तान दिया एवं उन्हें गम्भीर परिणामों की घोषणा की। सूचनादाता ने अपराध करने के पीछे का उद्देश्य की व्याख्या भी की है। उनके बयान से यह भी प्रतीत होता है कि नीलम के दिवंगत पिता जंग बहादुर सिंह को पुत्र नहीं था एवं उनका घर उनकी बेटी नीलम के कब्जे में घर था। उनका अपहरण उनके पिता के घर का बलपूर्वक कब्जा करने के लिए किया गया था। दूसरा अंग एक तरफ ए-1 से ए-5 (अपीलार्थी) के बीच लंबित कानून से उत्पन्न होता है एवं मृतक नीलम, उनके नाना एवं उनकी दो बहनों का दूसरे तरफ से था। अभियुक्त व्यक्ति स्वर्गीय जंग बहादुर सिंह द्वारा लिखे गए प्रोबेट की इच्छा एवं प्रशासन से प्राप्त पत्रों, जो सक्षम अदालत प्राप्त था एवं उक्त आदेश पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मृतक, उसके नाना एवं छोटी बहनों से प्राप्त था। उक्त अपील में पटना उच्च न्यायालय ने निषेधाज्ञा द्वारा संपत्ति के किसी अंश को अलगाव की भावना रखा था। उच्च न्यायालय प्रोबेट के वसीयत के कार्यान्वयन पर एवं अभियुक्त व्यक्तियों को संपत्ति के कब्जे को प्रदान करने से रोका। मृतक नीलम अपने पति एवं बहनोई के साथ अपने पिता के घर

में रहती थी ताकि संपत्ति का कब्जा उसके पास रहे। इस पृष्ठभूमि में विषय मुकदमे के लिए गया।

विचारण न्यायालय के समक्ष

7. विचारण न्यायालय, ए-6 एवं ए-7 को रिहा करते हुए, यह अवलोकन किया कि अपराध करने का उद्देश्य उक्त दो व्यक्तियों पर आरोप नहीं थे क्योंकि लंबित कानून को खोलने में उनका कोई हित नहीं था। इसके अलावा यह भी पाया गया कि ए-6 का नाम प्राथमिकी में नहीं था, जो पी.डब्ल्यू.-18 सुपुर्द किए गए सूचना में दर्ज हुआ था एवं उनके मौखिक सदस्य में, हमले का कोई कथन ए-6 एवं ए-7 में नहीं दिया गया था। इसके अलावा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि कोई साक्ष्य विचारण के दौरान प्रकट नहीं हुए, यह बताने के लिए हत्या होना एवं उनका अपहरण अधिनियमों में हुआ था।
8. भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 एवं 364/34 के तहत ए-1 से ए-5 पर दोषसिद्ध करते हुए, विचारण अदालत द्वारा पी.डब्ल्यू.-18, सूचनादाता, पी.डब्ल्यू.-2, पी.डब्ल्यू.-4 एवं पी.डब्ल्यू.-5 के साक्ष्यों पर निर्भर थी। अपराध करने का मकसद स्व. जंग बहादुर सिंह की संपत्ति को लंबित कानूनी झगड़ा में प्रदान किया गया था। अदालत ने पारिस्थितिक साक्ष्य पर पी.डब्ल्यू.-7 (मृतक के मामा), पी.डब्ल्यू.-3 (मृतक के ससुर), पी.डब्ल्यू.-23 (मृतक की बहन) एवं पी.डब्ल्यू.-13 (डॉक्टर) का जवाब दोष पर निष्कर्ष पर पहुँचना।

उच्च न्यायालय के समक्ष

9. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय के पठन से यह सुझाव मिलता है कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की नयी प्रशंसा की। उच्च न्यायालय सर्वप्रथम इस बात की

परीक्षा किया कि क्या नीलम वास्तव में उस घर में रह रही थी जहाँ से उसका अपहरण हुआ था। पी.डब्ल्यू.-7 (मृतक के मामा), पी.डब्ल्यू.-18 (मृतक के बहनोई एवं सूचनादाता) एवं पी.डब्ल्यू.-21 (अन्वेषण पदाधिकारी) के साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि नीलम वास्तव में उक्त घर में रह रही थी । ऐसा करने में, न्यायालय ने इस तथ्य का विरोध किया कि घर के अन्य स्वतंत्र दखलदार जैसे राम छबीला सिंह, उसके पुत्र, कुमुद रंजन सिंह आदि उक्त तथ्य के समर्थन में नहीं आए। इस कमी को पार कर, न्यायालय ने पी.डब्ल्यू.-21 एवं पी.डब्ल्यू.-23 (मृतक की बहन) के बयानों पर कहा कि कुछ मेकअप सामग्री, उस कमरे में रखे बैग में पाया गया, जो इस तथ्य का सुझाव में पी.डब्ल्यू.-21 एवं पी.डब्ल्यू.-23 (मृतक की बहन), इस तथ्य पर निर्भर करते हुए इस तथ्य का सुझाव कि एक महिला उक्त कमरे में रह रहे थे।

10. आगे विचारण में, उच्च न्यायालय ने पी.डब्ल्यू.-5 के साक्ष्य निष्कासित किया कि घटना के स्थान पर उनकी उपस्थिति संदेहात्मक था । पी.डब्ल्यू.-5 ने बयान दिया कि वह अपने घर की ओर देवघर से प्रस्थान कर रही थी कि लखीसराय से सिमलतला के रास्ते में वह पी.डब्ल्यू.-2 एवं पी.डब्ल्यू.-4 के साथ सिकंदरा चौक पर रुकी थी। इस बिंदु पर वे हल्ला सुने एवं अपराध करने पर साक्षियों पर समाप्त हुआ। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि देवघर से सिमला जाते हुए लखीसराय एवं घोगसा पहले आएंगे एवं इस प्रकार पी.डब्ल्यू.-5 को सिकंदरा चौक पर जाने का कोई कारण नहीं था, अगर वह अपने घर घोगसा जा रहा था, क्योंकि वह सीधे लखीसराय से घोगसा जाता। फिर भी, उच्च न्यायालय के पी.डब्ल्यू.-2, पी.डब्ल्यू.-4 एवं पी.डब्ल्यू.-18 के साक्ष्यों के साथ पारिस्थितिक साक्ष्य जिसमें पी.डब्ल्यू.-23, पी.डब्ल्यू.-13 (डॉक्टर) ने साक्ष्यों पर भरोसा किया एवं उचित स्पष्टीकरण के अभाव में 1973 की आप. दं. सं.

की धारा 313 के तहत मृतक द्वारा भागे गए घातक चोर के संबंध में। इस तरह, उच्च न्यायालय ने ए-1 से ए-5 के गलती के निष्कर्ष को अभिनिर्धारित किया।

11. ए-6 एवं ए-7 के संबंध में, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय रिहा के निष्कर्ष को पलट दिया। मुख्यतः उच्च न्यायालय अवलोकित किया कि उक्त दोनो अभियुक्त व्यक्ति को रिहा के निष्कासन के इस आधार को कायम नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पी.डब्ल्यू.-2, पी.डब्ल्यू.-4 एवं पी.डब्ल्यू.-18 के साक्ष्य, ए-6 एवं ए-7 के भागीदारी के संबंध में सुसंगित है एवं इस प्रकार भा.दं.सं. की धाराएँ 364 एवं 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत अपराध करने हेतु दोषी पाए गए थे। भा.दं.सं. का प्रयोग इस तथ्य पर आधारित था कि ए-6 एवं ए-7 ने पी.डब्ल्यू.-18 कुँआ के निकट सीमित रखा ताकि अन्य पाँच अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य किसी आदेश को समाप्त करने एवं विरोध करने का कार्य किया गया है।

प्रस्तुतियाँ

12. ए-6 और ए-7 की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त अभियुक्त व्यक्तियों का अपराध करने में शामिल होने का कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य, यदि कोई हो, केवल शेष पाँच अभियुक्त व्यक्तियों के लिए मौजूद था जो पक्षों के बीच लंबित मुकदमे के परिणाम में रुचि रखते थे। यह आगे तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय को निचली अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई कमजोरी पाए बिना पूरे साक्ष्य की पुनः सराहना करने का अभ्यास नहीं करना चाहिए था। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा अपील में इसे बाधित नहीं किया जा सकता था। इस संबंध में, इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता

रखी गई है। गोवा राज्य बनाम संजय ठाकुरन, 5 चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, 6 नेपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 7 काशीराम बनाम एम. पी. राज्य, लाभ सिंह बनाम पंजाब राज्य 9 और सूरतलाल बनाम एम. पी. राज्य।

13. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू2 और पीडब्लू4 की गवाही पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि मौके पर उनकी उपस्थिति संदिग्ध थी। इसके अलावा, जब शोर-शराबा किया गया तो अगर वे 400 गज की दूरी पर थे, तो वे ए-6 को पीडब्लू 18 को कुएं की ओर ले जाते हुए नहीं देख सकते थे क्योंकि उक्त तथ्य शोर-शराबा से पहले हुआ था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्राथमिकी में कोई पिस्तौल निर्धारित हुआ है, जबकि उक्त तथ्य साक्ष्य के समय आगे लाया जाएगा। अपीलार्थीगण ने चिकित्सिक साक्ष्य के आधार पर घटना के समय के संबंध में प्रश्न उठाए हैं। यह कहा जाता है कि पोस्ट मार्टम प्रतिवेदन यह इंगित करता है कि पीडित के पेट में आधा पचा हुआ भोजन पाया गया, जबकि सूचनादाता पी.डब्ल्यू.-18 का यह कथन है कि घटना रात के भोजन के तुरंत बाद हुआ। ऐसे वाद में, मृत्यु 30.08.1985-31.08.1985 के मध्य रात्रि में 1-2 पूर्वाह्न में हुआ, लेकिन पोस्ट मार्टम प्रतिवेदन, जो 31.08.1985 को लगभग 05.30 बजे अपराह्न में लिए गए पोस्ट मार्टम पर आधारित है, यह इंगित करता है कि मृत्यु लगभग 24 घंटे पहले हुई एवं इस प्रकार मृत्यु का समय 30.08.1985 को लगभग 05.00 बजे अपराह्न एवं न की 10.00 रात्रि में, जैसा कि आरोपित है।
14. अपीलकर्ताओं ने यह भी कहा है कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया है कि मृतक वास्तव में सिमलतल्ला में संबंधित घर में रह रहा था।
15. इसके विपरीत, राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल कुछ स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा।

रिलायंस को रखा गया है। *राय साहब एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य* के वाद में इस न्यायालय का निर्णय पर भरोसा रखा गया है एवं तर्क दें कि कभी-कभी, स्वतंत्र गवाह डर के कारण आगे नहीं आ सकते हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य की सही सराहना की है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू2, पीडब्लू4 और पीडब्लू18 की गवाही सुसंगत है और उच्च न्यायालय ने उनकी गवाही पर सही ढंग से भरोसा किया है। जहां तक उद्देश्य का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि साक्ष्य अपराध के उद्देश्य को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है।

16. हमने अपीलार्थियों के साथ-साथ राज्य के लिए भी विद्वान वकीलों को सुना है। हमने अभिलेख की भी सावधानीपूर्वक जाँच की है।

चर्चा

17. पक्षकारों द्वारा उठाई गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों के आलोक में, न्यायालय के समक्ष जो प्रमुख मुद्दा उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों के अपराध का निष्कर्ष रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आलोक में टिकाऊ है। इस मुद्दे के परिणाम यह जांचने के लिए कि क्या उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण किसी आपराधिक अपील में दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में बदलने के लिए तय किए गए कानून के अनुरूप था।
18. निचली अदालत और उच्च न्यायालय के समक्ष दो दौर की मुकदमेबाजी के बाद, यह काफी हद तक निश्चित है कि मामले की जांच केवल आई. पी. सी. की धारा 364 एवं 302 और आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत अपराधों के संबंध में की जानी है। आई. पी. सी. की धारा 364 के तहत अपराध के संबंध में, अभियोजन पक्ष का मामला प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य पर आधारित है, और आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत

अपराध के संबंध में, अभियोजन पक्ष का मामला अनिवार्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि हत्या करने का कोई प्रत्यक्ष सबूत एकत्र नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हत्या का अपराध अपहरण के अपराध के बाद किया गया था। दोनों अपराधों के बीच एक क्रमिक संबंध है और इस प्रकार, हत्या के अपराध के लिए एक मामला स्थापित करने के लिए, आरोपी व्यक्तियों/अपीलार्थियों द्वारा अपहरण के अपराध के अपराध को साबित करना आवश्यक है। क्योंकि, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में श्रृंखला पूर्ण और सुसंगत होनी चाहिए।

19. आई. पी. सी. की धारा 364 के तहत अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने चार चश्मदीद गवाहों-पी. डब्ल्यू.-2, पी. डब्ल्यू.-4, पी. डब्ल्यू.-5 और पी. डब्ल्यू.-18 की मौखिक गवाही पर भरोसा किया है। उनकी गवाही पर विभिन्न मामलों में हमला किया गया है। अपीलकर्ताओं ने उक्त गवाहों को इच्छुक और संयोग गवाह बताया है। पहला आरोप इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि गवाह मृतक से संबंधित थे, और दूसरा आरोप इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि गवाहों के पास अपराध के स्थान पर उपस्थित होने के लिए कोई कारण नहीं था और वे केवल संयोग के रूप में अप्रत्याशित रूप से उपस्थित हुए। आइए हम दोनों पहलुओं की जांच करें। हम पहले मृतक के साथ उनके संबंधों में गए बिना स्वतंत्र रूप से गवाहों की गवाही की जांच कर सकते हैं।
20. मुखबिर पीडब्लू18 ने बयान दिया है कि वह अपने घर के बाहर एक रिक्शा के पास खड़ा था और मृतक घर के अंदर सो रहा था। पीडब्लू18 तीन स्वतंत्र व्यक्तियों, डोमन टेंटी, दासो मिस्त्री और सूरदास के साथ खड़ा था। सात अभियुक्त व्यक्ति 15 अन्य व्यक्तियों के साथ आए थे। ए-6 और ए-7, अज्ञात व्यक्तियों के साथ, पहले पीडब्लू 18 के पास आए और उसे कुएं की ओर ले गए और वहां उसे बंद कर दिया। इसके

बाद, शेष आरोपी व्यक्ति अन्य अज्ञात हमलावरों के साथ उस घर में घुस गए, जहाँ मृतक सो रहा था। दिलचस्प बात यह है कि मुखबिर के बयान के अनुसार, घर को अंदर से बंद कर दिया गया था और एक किरायेदार कुमुद रंजन सिंह द्वारा खोला गया था। सूचना देने वाले के संस्करण के साथ समस्या इसी बिंदु से शुरू होती है। उनके कथन के अनुसार, घटना के पहले चश्मदीद गवाह डोमन टेंटी, दासो मिस्त्री, सूरदास और कुमुद रंजन सिंह होने चाहिए थे। सूरदास नामक एक व्यक्ति को अंधा बताया गया था और इस प्रकार, उसे बाहर रखा जा सकता है। फिर भी, अभियोजन पक्ष को घटना के तीन प्राकृतिक गवाहों, डोमन टेंटी, दासो मिस्त्री और कुमुद रंजन सिंह से पूछताछ करनी चाहिए थी। प्राकृतिक चश्मदीद गवाहों से पूछताछ न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। संस्करण अधिक संदिग्ध हो जाता है जब उसके बयान के आलोक में इसकी जांच की जाती है कि वह आरोपी व्यक्तियों को रोक नहीं सका क्योंकि ए-6 ने उसे पिस्तौल से धमकी दी थी। एफ. आई. आर. में, ए-6 को किसी भी पिस्तौल के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, जबकि निचली अदालत के समक्ष दर्ज बयान में, इस तथ्य को पहली बार पेश किया गया था, जो सुधार का संकेत है। इसके अलावा, पीडब्लू18 ने प्राथमिकी में यह दर्ज कराया कि ए-6 और अन्य लोगों ने उस पर मुट्ठी और थप्पड़ से हमला किया था, लेकिन उक्त तथ्य को निचली अदालत के समक्ष उसकी जांच में पेश नहीं किया गया था। यह विसंगति इस तथ्य के आलोक में अधिक गंभीरता धारण करती है कि किसी भी अभियुक्त व्यक्ति से कोई पिस्तौल बरामद नहीं की गई है और यदि पिस्तौल की ब्रांडिंग का तथ्य संदेह का बादल है, तो पीडब्लू 18 का पूरा आचरण संदिग्ध और अप्राकृतिक हो जाता है, क्योंकि उसने अभियुक्त व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश करने या मृतक का अपहरण करने या मृतक को अपनी आंखों के सामने उनके कंधों पर ले जाने से रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह मृतक का बहनोई था।

21. अन्य चश्मदीद गवाह, पीडब्लू2, पीडब्लू4 और पीडब्लू5 ने सामूहिक रूप से अभियोजन पक्ष के पक्ष में बयान दिया क्योंकि वे एक साथ अपराध स्थल पर पहुंचे थे। लगभग 10 बजे:00 रात्रि में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को, उक्त चश्मदीद गवाह सिकंदर चौक पर मौजूद थे और उन्होंने मृतक के घर पर कुछ शोर-शराबा सुना। गवाह लखीसराय से एक जीप में एक साथ आ रहे थे और घोघा गाँव में अपने घर की ओर जा रहे थे, जिस गाँव में मृतक की शादी हुई थी और पीडब्लू 18/मुखबिर के पैतृक गाँव की ओर भी जा रहे थे। पीडब्लू2 पीडब्लू4 का चालक था। उक्त पीडब्ल्यू की गवाही से यह स्पष्ट हो गया है कि लखीसराय से सिकंदर चौक आते समय घोगशा पहले आया, उसके बाद लोहंदा और सिमलतल्ला आता है। ऐसी परिस्थितियों में, 10 बजे रात्रि में सिकंदर चौक पर उनकी उपस्थिति को अदालत की संतुष्टि के लिए समझाया जाना चाहिए। उनके पास सिमलतल्ला आने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि यह उनके रास्ते से नहीं गुजरना था।
22. दिलचस्प होते हुए यह कभी उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत ध्यान देते हुए पीडब्लू5 के संबंध में, क्योंकि उनके पास घटना के समय सिकंदरा चौक पर उपस्थित होने का कोई कारण नहीं था एवं उसके प्रमाण को बाहर किया गया। हालांकि, यही तथ्य पीडब्लू4 के साथ प्रमाण का विस्तारण उसी तर्क से किया जाए, क्योंकि यह समानतः उनके लिए असंभावित सिकंदरा चौक पर 10.00 बजे रात्रि में घटना के दिन उपस्थित होना। उसे सिकंदरा चौक जाना उसके गाँव जाने हेतु अनावश्यक था। अन्यथा भी, चूँकि तीनों चश्मदीद गवाह के संस्करण के अनुसार समान रूप से पदस्थापित थे। एक गवाह का प्रमाण को रद्द करना एक प्राकृतिक संदेह को उठा सकता है एवं अन्य दो गवाहों का प्रमाण भी खारिज किया जा सकता है जब तक उनके पास इससे बेहतर स्पष्टीकरण था। हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे संदेह को पसंद नहीं किया जाता है एवं विवादित निर्णय इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं प्रदान किया जा सकता है। अपने

ही प्रमाण के आलोक में, तीनों चश्मदीद गवाहों में से कोई को सिकंदरा चौक या सिमलतल्ला होकर गाँव नहीं जाते हैं।

23. चश्मदीद गवाहों का प्रमाण अभिलेख पर अन्य साक्ष्यों के आलोक में हटाये भी जा सकते हैं। पीडब्लू 21 वाद का अन्वेषण पदाधिकारी थे एवं उसने उक्त पीडब्लू को घटना के चश्मदीद गवाहों के रूप में परीक्षण किया था। चश्मदीद गवाहों द्वारा बढ़ाये गए संस्करण गंभीर संदेह से मिलते हैं जब साक्ष्य के आलोक में डी.डब्लू. 3 एवं डी.डब्लू. 4, वे घटना के पश्चात पीडब्लू 18 के साथ थाना पहुँचा था एवं न उसने पीडब्लू 4 ने आई.ओ. को सूचना दी थी कि उन्होंने प्रत्यक्षतः घटना को देखा था। पीडब्लू 21 एवं डी.डब्लू. 3/डी.डब्लू.4 के बीच बढ़ाये गए संस्करण अन्वेषण की निष्पक्षता के संदर्भ में गंभीर संबंध उठाते हैं कि चश्मदीद गवाहों को वाद को साबित करने हेतु लाया गया था। डी.डब्लू.3 एवं डी.डब्लू.4, दोनों वरीय पदाधिकारी जिन्होंने पीडब्लू 21 द्वारा किए गए अन्वेषण के ऊपर सर्वेक्षण किया, यह इंगित करता है कि घटना में कहे गए चश्मदीद गवाह वास्तव में तथ्यों के उपरांत उपस्कर थे एवं न की तथ्यों के उपस्कर।
24. आपत्ति का दूसरा अंग चश्मदीद गवाहों के प्रमाण के खिलाफ यह था कि कोई चश्मदीद गवाह, तथ्यों का स्वतंत्र गवाह नहीं था। साधारणतः, गवाहों के कानून का कोई नियम हटाने लायक नहीं है, केवल इसलिए कि पीडित को जानते थे या उसके परिवार के सदस्य थे।
25. मुख्यतः चश्मदीद गवाहों का आचरण भी अप्राकृतिक प्रतीत होता है, इस पर विचार करते हुए कि वे सभी मृत्तिका के रिश्तेदार थे। पहले पीडब्लू 18 ने अपहरण को रोकने का प्रयास किया कि पीडब्लू2, पीडब्लू4 और पीडब्लू5 एक जीप में आए और उन्होंने आरोपी व्यक्तियों को नीलम का अपहरण करने के बाद उसके साथ जाते देखा। यह भी स्वीकार किया जाता है कि उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की थी, जो

अनिवार्य रूप से चश्मदीद गवाहों के रिश्तेदार थे। ऐसी परिस्थितियों में, स्वाभाविक मानव आचरण के अनुसार, वे कम से कम अपनी जीप में आरोपी व्यक्तियों का पीछा कर सकते थे। माना जा सकता है कि उनके पास एक तैयार वाहन था। इसके बावजूद, उनकी ओर से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया, इतना कि अगली सुबह तक नीलम का शव भी नहीं मिला क्योंकि किसी भी चश्मदीद गवाह को इस बात का कोई सुराग नहीं था कि आरोपी व्यक्ति मृतक को अपहरण करने के बाद कहाँ ले गए थे।

26. वर्तमान मामले में एक महत्वपूर्ण मूलभूत तथ्य यह है कि मृतक सिमलतल्ला में अपने पिता के घर पर रह रही थी। हालाँकि, निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने उक्त तथ्य पर संदेह नहीं किया है, लेकिन इस बारे में हमारी आपत्तियाँ हैं। पीडब्लू18 (मुखबिर), पीडब्लू23 (मृतक की बहन) और पीडब्लू7 (मृतक के मामा) के बयानों के अलावा, किसी अन्य गवाह ने निवास के तथ्य को साबित करने के लिए गवाही नहीं दी है। अभिलेख पर स्वीकार किए गए साक्ष्य पर्याप्त रूप से इंगित करते हैं कि कई अन्य किरायेदार एक ही घर में रह रहे थे, जिनमें कुमुद रंजन सिंह, शिक्षा अधिकारी राम चबीला सिंह अपनी बेटी और बेटे के साथ थे।

27. जाँच अधिकारी पीडब्लू21 ने घर का निरीक्षण किया था और कुछ मेकअप वस्तुओं को छोड़कर कोई प्रत्यक्ष सामग्री एकत्र नहीं की जा सकी थी ताकि यह संकेत दिया जा सके कि नीलम वास्तव में वहाँ रह रही थी। माना जा सकता है कि एक अन्य महिला चंदो देवी (राम चबीला सिंह की बहन) भी घर के उसी हिस्से में रह रही थी। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया, लेकिन यह कहते हुए इसे स्पष्ट कर दिया कि चूंकि चंदो देवी एक विधवा थीं, इसलिए मेकअप की वस्तुएं उनकी नहीं हो सकती थीं क्योंकि विधवा होने के नाते उन्हें मेकअप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारी राय में, उच्च न्यायालय की टिप्पणी न केवल कानूनी रूप से असमर्थनीय है, बल्कि

अत्यधिक आपत्तिजनक भी है। इस प्रकृति का व्यापक अवलोकन कानून की अदालत से अपेक्षित संवेदनशीलता और तटस्थता के अनुरूप नहीं है, विशेष रूप से जब यह रिकॉर्ड पर किसी भी साक्ष्य से नहीं बनाया गया है।

28. जो भी हो, केवल कुछ साज-सज्जा की वस्तुओं की उपस्थिति इस तथ्य का निर्णायक प्रमाण नहीं हो सकती है कि मृतक उक्त घर में रह रहा था, विशेष रूप से जब कोई अन्य महिला वहां रह रही थी। इसके अलावा, अगर नीलम वास्तव में वहाँ रह रही थी, तो उसका अन्य सामान जैसे कपड़े आदि पाए जाने चाहिए थे। सदन में और भले ही ऐसा न हो, उसी घर के अन्य निवासी उक्त तथ्य के समर्थन में गवाही देने के लिए आगे आ सकते थे।
29. उल्लेखनीय है कि मृतक के शव के साथ दो साड़ियां, दो ब्लाउज और दो पेटीकोट जैसे कुछ कपड़े बरामद किए गए थे। अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी व्यक्तियों ने मृतक का अपहरण करते हुए उसके घर से उक्त कपड़े ले लिए थे। अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से उक्त आचरण के लिए बिल्कुल कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह समझना मुश्किल है कि आरोपी व्यक्ति उसका अपहरण करते समय उसके कपड़े क्यों साथ ले जाते थे। इसके विपरीत, यह तथ्य वास्तव में अभियोजन पक्ष के मामले को यह साबित करने में मदद करता है कि मृत व्यक्ति वास्तव में सिमलतल्ला में घर पर रह रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक के सिमलतल्ला में उसके पिता के घर पर वास्तविक निवास के तथ्य का समर्थन करने के लिए शव के साथ कपड़े लगाए गए थे। अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आलोक में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जंग बहादुर सिंह के घर पर ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जो सीधे संकेत दे कि मृतक वहां रह रहा था। मेकअप लेखों को पूरी तरह से अस्वीकार्य तर्क के आधार पर और बिना किसी पुष्टि करने वाली सामग्री के मृतक के साथ जोड़ा गया था। अभियोजन पक्ष

उक्त तथ्य को साबित करने के लिए एक भी साथी से पूछताछ करने में विफल रहा है। इसके अलावा, मृतक का कोई भी व्यक्तिगत सामान, जैसे कपड़े, जूते, बर्तन आदि पूरे घर में नहीं मिला। इसलिए, हम यह विश्वास करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि मृतक वास्तव में सिमलतल्ला में घर में रह रहा था। उसी सांस में, हम यह भी नोट कर सकते हैं कि पीडब्लू 18 के लिए भी, उक्त घर में ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली थी जो यह इंगित करे कि वह वास्तव में वहां रह रहा था। अपने स्वयं के बयान के अलावा, कोई भी गवाह यह गवाही देने के लिए आगे नहीं आया है कि सूचना देने वाला उक्त घर का निवासी था। अभियोजन पक्ष ने पूरे घर में कोई कमरा नहीं देखा है जिसमें पीडब्लू 18 रह रहा था और इस प्रकार, घटना स्थल पर उसकी अपनी उपस्थिति संदिग्ध है।

30. अपीलार्थियों ने मृत्यु के समय के संबंध में कुछ आपत्तियां भी उठाई हैं। 31.08.1985 को शाम लगभग 5.30 बजे किए गए पोस्टमॉर्टम के आधार पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर विसंगति को चिह्नित किया गया है, जो दर्शाता है कि मृत्यु लगभग 24 घंटे पहले हुई थी। यह दर्शाता है कि मृत्यु का समय 30.08.1985 को शाम लगभग 5.00 बजे रहा होगा, जो कि पीडब्लू 18 के साक्ष्य के विपरीत है कि घटना 30.08.1985 को रात लगभग 10.00 बजे हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आम तौर पर मृत्यु के कारण के बारे में रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के निर्णायक सबूत के रूप में नहीं माना जाता है, मृत्यु का समय आदि। इसे हमेशा रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे कि चश्मदीद गवाहों के नेत्र संबंधी साक्ष्य से पुष्ट किया जा सकता है। हालांकि, जब रिपोर्ट का खंडन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य विश्वसनीय साक्ष्य नहीं होता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों को आम तौर पर सच माना जाता है। वर्तमान मामले में, चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य को मृत्यु के समय के पहलू

सहित पूरी तरह से अविश्वसनीय घोषित किया गया है। इस प्रकार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसमें दिए गए निष्कर्षों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

31. इस स्तर पर, हम यह भी ध्यान दे सकते हैं कि उच्च न्यायालय का रुख, ए-6 एवं ए-7 के विपरीत स्टेल्ड कानून के समक्ष में मुक्ति के संबंध में बिल्कुल नहीं है। विचारण न्यायालय ने उक्त अभियुक्त व्यक्तियों को स्पष्ट साक्ष्य के प्रशंसा में मुक्त किया था एवं उच्च न्यायालय केवल अवलोकन किया कि पीडब्लू 5 के मुक्ति असंभाव्य बयान के आधार पर एवं चूंकि पीडब्लू 5 के साक्ष्य अभिलेख से बाहर रहेंगे, ए-6 एवं ए-7 को रिहा करने का कोई कारण नहीं था। मुख्यतः उच्च न्यायालय अवैधता के निष्कर्ष या विचारण न्यायालय की विकृति पर नहीं गए। इसके अलावा, यह कि किसी स्वीकारात्मक निष्कर्ष पर शामिल होना दो अभियुक्त व्यक्तियों के सामान्य इरादा के नेत्र में शेष अभियुक्त व्यक्तियों के साथ/बराबरी में पीडब्लू 5 के साक्ष्य का निष्कासन कि कैसे पीडब्लू 2 एवं पीडब्लू 4 उसी प्रकार से निष्कासन के लायक नहीं था, गलत एवं त्रुटिपूर्ण था।
32. हम यह कहना नहीं चाहते हैं कि उच्च न्यायालय अभिलेख के साक्ष्य की प्रशंसा नहीं की है, अपने अपीलार्थी के शक्ति में। हालांकि, मुक्ति के निष्कर्ष को उलटना, एक उच्च प्रवेश को आवश्यकता थी। अपनी निर्दिष्टता के अनुमान में जो एक अभियुक्त के पक्ष में संचालन पूरे विचारण को विचारण न्यायालय के मुक्ति का निष्कर्ष मजबूत हो जाता है। इस प्रकार, ऐसे निष्कर्ष को उलटा नहीं किया जा सकता है केवल इस संभावना के कारण दूसरा दृष्टिकोण भी जीवित था। बल्कि विचारण अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय के विषय पर सरासर अपनाई एवं ए-6 एवं ए-7 के मुक्ति के लिए पलट दी गई, बिना

अवैधता या विकृति या असंभाव्यता का विचारण न्यायालय द्वारा दृष्टिकोण या विचारण अदालत के साक्ष्य की अप्रशंसा।

33. हम उपयोगी रूप से संजीव बनाम एच. पी. राज्य, 12 में कानून की व्याख्या का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें इस न्यायालय ने इस संबंध में स्थिति का सारांश दिया और निम्नानुसार टिप्पणी की:

“7. यह अच्छी तरह से तय है कि:

7.1. बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते समय, उन कारणों पर विचार किया जाना चाहिए जिन पर निचली अदालत ने आरोपी को बरी करने में विचार किया था, यदि अपीलीय अदालत का विचार है कि निचली अदालत द्वारा दिए गए बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया जाना चाहिए (*विजय मोहन सिंह बनाम कर्नाटक राज्य, अनवर अली बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य*)

7.2. निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के आदेश के साथ, किसी आपराधिक मामले में निर्दोष होने का सामान्य अनुमान प्रबलित जाता है।
(देखें *एटली बनाम यू. पी. का राज्य*)

7.3. यदि अभिलेख पर साक्ष्य से दो विचार संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को बरी किए जाने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप करने में बेहद धीमा होना चाहिए (*संबाशिवन बनाम केरल राज्य*)”

34. यह देखने के बाद कि अभियोजन पक्ष का मामला अपहरण के अपराध के संबंध में स्पष्ट संदेहों से भरा है, हम संक्षेप में नोट कर सकते हैं और दोहरा सकते हैं कि हत्या का अपराध पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर है। हालांकि, पोस्टमॉर्टम

रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि मृतक की मौत अप्राकृतिक थी और हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा हत्या किए जाने को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। अभियुक्त व्यक्तियों और कथित अपराध के बीच कारण का संबंध स्पष्ट रूप से गायब है। अपहरण के अपराध के आसपास के तथ्यों से निकलने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जैसे कि चश्मदीद गवाहों की गवाही, सबूत के परीक्षण को पूरा करने में विफल रही है और इसे कानून की नजर में साबित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की नींव गिरने के कारण, आयोग का अनुमान लगाने के लिए इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध। यह एक तुच्छ कानून है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में साक्ष्य की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए और अपराध का एक अपरिहार्य निष्कर्ष देना चाहिए। भेजे जाने से पहले के मामले में, अभियोजन पक्ष का मामला उस मानक को पूरा करने से बहुत दूर है।

35. जहां तक उद्देश्य का संबंध है, हम यह कहने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं कि उद्देश्य का प्रभाव केवल तभी पड़ता है जब अभिलेख पर साक्ष्य विचाराधीन अपराधों के घटकों को साबित करने के लिए पर्याप्त हो। मूलभूत तथ्यों के प्रमाण के बिना, अभियोजन पक्ष का मामला केवल उद्देश्य की उपस्थिति पर सफल नहीं हो सकता है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में उद्देश्य दोनों तरीकों से काम कर सकता है। अभियुक्त व्यक्ति और प्रत्यक्षदर्शी एक ही परिवार के हैं और संपत्ति से संबंधित विवाद की उपस्थिति स्पष्ट है। एक काल्पनिक अर्थ में, दोनों पक्षों को दूसरे को फंसाने से लाभ हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, केवल उद्देश्य पर निर्भर रहना दोधारी तलवार हो सकती है। हम और नहीं कहते हैं।

36. उपरोक्त विश्लेषण इंगित करता है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने के लिए अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है। ऊपर बताए गए उचित संदेह अपरिवर्तनीय हैं और अभियोजन पक्ष के मामले की नींव पर प्रहार करते हैं। इस प्रकार, अपीलार्थी सभी आरोपों से बरी होने के लिए उत्तरदायी हैं।
37. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हम एतद्वारा यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के निष्कर्ष टिकाऊ नहीं हैं। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने ए-6 और ए-7 को बरी करने के फैसले को उलटने में गलती की। तदनुसार, आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय (ए-1 से ए-5 की दोषसिद्धि की सीमा तक) को दरकिनार कर दिया जाता है, और सभी सात अभियुक्त व्यक्तियों (अपीलकर्ताओं) को एतद्वारा उन पर लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है। अपीलार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि यदि वे हिरासत में हैं तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।
38. इस फैसले के संदर्भ में शीर्षक वाली अपीलों का निपटारा किया जाता है। अंतरिम आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाएगा। कोई लागत नहीं। मामले का परिणाम: अपीलों का निपटारा किया गया।

हेडनोट तैयार किए गए: निधि जैन